

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1936 / 2022

दिनांक : 15 .06.2022


श्री दीपक पाण्डे (RJ0218), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, सवाई माधोपुर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

01. दिनांक 17.05.2022 से 23.05.2022 तक 07 दिनों का उपार्जित अवकाश ।
02. दिनांक 24.05.2022 से 28.05.2022 तक 05 दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाश
दिनांक 29.05.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री पाण्डे की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, सवाई माधोपुर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/23/1996/ 4450

दिनांक : 15.06.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, सवाई माधोपुर को उनके पत्रांक 50 दिनांक 31.05.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्री दीपक पाण्डे (RJ0218), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, सवाई माधोपुर ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर ।


सहायक रजिस्ट्रार